संख्या- 65 /2022/ 391 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2022**

विषय:- चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह दिनांक 04 फरवरी, 2022 के अवसर पर अभिलेख प्रदर्शनी के आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के पत्र संख्या-1162 /नौ-145/2021-22 दिनांक 14 मार्च, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह दिनांक 04 फरवरी, 2022 के अवसर पर अभिलेख प्रदर्शनी के आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय रू0 1,58,869.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त रू0 1,58,869.00 (रूपये एक लाख अट्ठावन हजार आठ सौ उनहत्तर मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/ पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से किया जायेगा।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या 65 /2022/ 391 (1) /चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।